न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 131/2020
GCMS NO. : 2020/00230

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. सुखाराम पुत्र चौथाराम फौत के का०मु० 1/1. मोतीराम पुत्र सुखाराम 1/2. बक्साराम पुत्र सुखाराम 2. भानाराम पुत्र चौथाराम 3. रूपाराम पुत्र चौथाराम 4. मीठूराम पुत्र कानाराम 5. माधाराम पुत्र हीराराम 6. घेवरराम पुत्र जयराम 7. हड़मानराम पुत्र गोरधनराम 8. हरलाल पुत्र गोकलराम 9. नेमाराम पुत्र भीयाराम 10. हीराराम पुत्र चौथाराम फौत के का०मु० 10/1. बाबुराम पुत्र हीराराम सभी जातियान जाट, निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,		1. हनुमानचंद पुत्र पुखराज 2. पूरणमल पुत्र पुखराज 3. जातियान– जाट, निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण 4. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार। 5. जिला चिकित्सा अधिकारी पाली(राजस्थान) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि डॉ. रूघाराम कुमावत चिकित्सा प्रभारी डिगरना जिला पाली राजस्थान 6. पप्पुड़ी देवी पत्नी डांवरराम निवासी– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा **अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू: 15/10/2020

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 22/06/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज० मे खसरा नम्बर 142 रकबा 32 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी के प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे तथा उक्त प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिये मौके पर रास्ता चल रहा है परन्तु राजस्व रे[illegible] रास्ता इन्द्राज नही है जिसका प्रार्थीगण ने अलग से रास्ता कायम करवाने [illegible] प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमे प्रार्थीगण को सफल होने की पूर्ण सम्भावना यह है कि प्रार्थी[illegible] की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 142 के पास में ही समानान्तरण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 16–16 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की आराजी के पास मे स्थित है अर्थात प्रार्थीगण की आराजी उत्तर दिशा मे है और अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 142 से दक्षिण दिशा में है। प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतू वर्षो से रास्ता चल रहा है जो अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 141 मे से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी में जाता है जो रास्ता पिछले कई वर्षो से चल रहा है और जिसका प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आने जाने हेतू शांतिपूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जो रास्ता पिछले कई वर्षो से चल रहा है इस रास्ते को वर्तमान में प्रार्थीगण और इससे पूर्व प्रार्थीगण के दादा पिता भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी आराजी मे आने जाने हेतू करते थे परन्तु उक्त रास्ता मौके पर तो चल रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ता इन्द्राज नही है तथा प्रार्थीगण की आराजी में इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जिससे कि प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आ जा सके। प्रार्थीगण की आराजी में वर्तमान में चल रहे रास्ते एवं प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसमे मौके पर वर्तमान में चल रहे रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है और प्रार्थीगण ने इसी रास्ते को प्रस्तावित रास्ता बताया है राजस्व रेकर्ड मे उक्त रास्ते को कायम करने हेतू प्रार्थनापत्र पेश किया है। परन्तु वर्तमान में चल रहे रास्ते को अप्रार्थीगण उनके हाली एजेन्ट नोकर चाकर प्रतिनिधियों ने दिनांक 13/10/2020 को ऐलानिया धमकी दी कि वह इस वर्तमान मे चल रहे रास्ते का बंद कर देगे एवं खसरा नम्बर 141 के चारो तरफ तारबन्दी करके खाई लगा देगे यदि अप्रार्थीगण अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है और प्रार्थीगण की भूमि मे जाने वाले भारी रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिये कोई अन्य वैकल्पिक एवं निकटतम् रास्ता नही है प्रार्थीगण द्वारा रास्ता कायम करवाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है उसमें समय लगेगा तब तक नजरी नक्शे मे वर्णित लाल स्याही से दर्शित रास्ते को अप्रार्थीगण उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर या अन्य कोई भी व्यक्ति रास्ते को बंद नही करें, अतिक्रमण नही करे तथा किसी तरह का रास्ते में अवरोध नही बनाये एवं प्रार्थीगण अपनी आराजी में जाने के लिये इस रास्ते का उपयोग उपभोग करे एवं आवागमन हेतू काम मे लेवे तो अप्रार्थीगण उनके प्रतिनिधि एवं नोकर चाकर या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे जरिये स्थगन प्रार्थनापत्र के मूल प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक रोका जावे। अतः स्थगन प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 142 की भूमि मे जो खसरा नम्बर 141 अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर जाता है जो वर्तमान मे रास्ता चल रहा है उस रास्ते को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित रास्ते को अप्रार्थीगण उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर या अन्य कोई भी व्यक्ति रास्ते को बंद नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे तथा किसी तरह का रास्ते मे अवरोध नहीं बनाये एवं प्रार्थीगण अपनी आराजी में जाने के लिये इस रास्ते का उपयोग उपभोग करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

एवं आवागमन हेतू काम मे लेवे तो अप्रार्थीगण उनके प्रतिनिधि एवं नोकर चाकर या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे जरिये स्थगन प्रार्थनापत्र के मूल प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण 01 व 02 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण पूर्णतया असत्य झूठे व निराधार तथ्यों का समावेश करते हुये मूल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधिक प्रावधानो अनुसार कतई पोषणीय नही है। साथ ही यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 141 व 142 के सभी खातेदारो को वाद पक्षकार नहीं बनाया है एवं प्रार्थीगण के लिये मौके पर खसरा नम्बर 142 के पश्चिमी तरफ आबादी भूमि से जुड़ा रास्ता स्थित है। इसी प्रकार इसी खसरा नम्बर 142 के पूर्वी तरफ भी सिवाय चक खुली भूमि पड़ी हुई है। उसी स्थल से होकर खसरा नम्बर 142 के सभी हिस्सेदार आवागमन करते रहे है तथा जवाब देहन्दागण की खसरा नम्बर 141 की भूमि से होकर मौके पर आज दिन तक कभी भी कोई रास्ता नही ासिस ळत चला। साथ ही प्रार्थीगण के पास विकल्पेन रास्ते उपलब्ध होने से प्राचीगण कि ओर से प्रस्तुत मामला धारा 251क राज काश्त, अधि की परिधि में नहीं आने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जाये। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित में कथन पूर्णतया असल्य झूठे व बेमूनियाद होने से अस्वीकार है। प्राचीगण ने अपनी ओर से प्रस्तुत इस कार्यवाही में खराश नम्बर 141 व 142 के रेकडेड खातेदारों को वादपत्र पक्षकार नहीं बनाया है एवं प्राचीगण के लिये मौके पर खसरा नम्बर 142 के पश्चिमी तरफ आबादी भूमि से जुड़ा हुआ रास्ता स्थित है। इसी प्रकार इसी खसरा नम्बर 142 के पूर्वी तरफ भी सिवाय तक खुली भूमि पड़ी हुई है। उसी स्थल से होकर खरारा नम्बर 142 के सभी हिस्सेदार आवागमन करते रहे है तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 141 की भूमि से होकर मौके पर आज दिन तक कभी भी कोई रास्ता नहीं चला। न ही प्राचीगण एवं उनके पूर्वजो ने जवाब देहन्दागण की खातेदारी भूमि से होकर खसरा नम्बर 142 की भूमि में कभी आवागमन किया है। न ही दिनांक 13.10.2020 का उल्लेख प्रार्थीगण ने कार्यवाही करने की मंशा से झूठा किया है साथ ही मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के अदालत श्रीमान के समक्ष निराधार कार्यवाही पेश की है। इस पद में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। बल्कि प्रार्थीगण के पास विकल्पेन रास्ते उपलब्ध होने से प्रार्थीगण कि ओर से प्रस्तुत मामला धारा 251क राज काश्त, अधि की परिधि में नही आने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जाये। जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के अप्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जाये।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डिगरना में प्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 142 रकबा 32-00 बीघा पर पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है, प्रार्थीगण की आराजी के पास ही खसरा संख्या 141 रकबा 16-16 बीघा अप्रार्थीगण की भूमि है जिसमें से वर्षो से रास्ता चल रहा है। जिसका प्रार्थी शांतिपूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसका नजरी नक्शा पेश है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दिनांक 13.10.2021 को उक्त रास्ता बंद कर देने बाबत् ऐलानिया धमकी दी है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 और 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 142 के सभी खातेदारान् को पक्षकार संयोजित नही किया है साथ ही खसरा संख्या 142 के पश्चिम की तरफ़ आबादी भूमि में रास्ता स्थित है व पूर्व की तरफ सिवाय चक खुली भूमि पड़ी है। अतः प्रार्थना पत्र बेबूनियाद होने से काबिल खारिज हो।

अप्रार्थी संख्या 4 जिला चिकित्सा अधिकारी पाली है जिसका खसरा संख्या 141 में शासकीय अस्पताल संचालित है।

चूंकि हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के रास्ता बाबत् अन्तर्गत धारा 251क के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जो कि स्वयं एक प्रार्थना पत्र है जिसकी सुनवाई व निर्णयन का क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही है। जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई एवं निर्णयन का क्षैत्राधिकार सहायक कलक्टर को प्राप्त होता है तथा ऐसा प्रार्थना पत्र संक्षिप्त विचारण की श्रेणी में नही आता है तथा ऐसा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी वादपत्र/ कार्यवाही के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला किसी भी दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है अतः इसे प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व 3. अपूर्णनीय क्षति :- चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हुआ है साथ ही अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के ही पक्ष मे निहित है तथा वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:33 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

से पाबंद करने से उन्हें ही अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है, अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नही होने एवं सारहीन होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनाँक 22/06/2022 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:33 IST
Reason: SelfAttested